

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:- 207075 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 03/11/14
ग्रा0वि0-3/स्था0-1-14/14

निम्नांकित महिला प्रसार पदाधिकारी को स्थानांतरित करते हुए तालिका के स्तंभ-3 में अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है। संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी इनका पदस्थापन अपने स्तर से जिला के रिक्त प्रखंडों में महिला प्रसार पदाधिकारी के पद पर करेंगे तथा तालिका के क्रम सं0-1 से 11 पर अंकित पदाधिकारियों को कार्यहित में अपने ही वेतनमान में उक्त जिला के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में सहायक परियोजना पदाधिकारी का पद रिक्त रहने की स्थिति में उक्त पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपेगे। यह व्यवस्था बिल्कूल अस्थायी होगी तथा किसी भी समय इस व्यवस्था को विभाग के अगले आदेश से समाप्त की जा सकेगी। इस अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का किया गया दावा मान्य नहीं होगा और न ही अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय होगा।

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम एवं पूर्व पदस्थापन जिला	पदस्थापन जिला
1	2	3
1	श्रीमती सीमा गुप्ता, महिला प्रसार पदाधिकारी, जिला-औरंगाबाद	गोपालगंज
2	श्रीमती माधुरी कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, जिला- सिवान	वैशाली
3	श्रीमती मालती गुप्ता, महिला प्रसार पदाधिकारी, जिला- सुपौल	सिवान
4	श्रीमती चन्दा कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, जिला-बक्सर	सुपौल
5	श्रीमती रेखा कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, जिला- सारण	बेगूसराय
6	श्रीमती सुन्दरवास कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, जिला-वैशाली	खगडिया
7	श्रीमती पूनम कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, जिला-शिवहर	पंचम्पारण
8	श्रीमती कमला कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, जिला-गया	शेखपुरा
9	श्रीमती उषा कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, जिला-भोजपुर	गया
10	श्रीमती रत्ना कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, जिला- गया	रोहतास
11	श्रीमती रंजना कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, जिला- मधुबनी	सारण
12	श्रीमती वीणा वर्मा, महिला प्रसार पदाधिकारी, जिला- औरंगाबाद	सारण
13	श्रीमती मीरा कुमारी दास, महिला प्रसार पदाधिकारी, जिला- जमुई	भागलपुर

2. श्री अमोल मिश्र, प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य), उदाकिशुनगंज, मधेपुरा को कंडिका-1 में उल्लिखित शर्तों के आलोक में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा में सहायक परियोजना पदाधिकारी का पद रिक्त रहने की स्थिति में उक्त पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपेगे।

3. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।
4. ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय आदेश सं0-203835 दिनांक 30.09.14 इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
5. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

(जगदीश चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

जापांक 207075

दिनांक:- 03/11/14

ग्रा0वि0-3/स्था0-1-14/14

प्रतिलिपि- संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/ संबंधित सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित सभी उप विकास आयुक्त/ संबंधित सभी पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-6, 13 एवं 14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कार्यालय आदेश को आज ही डाउनलोड कर अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

3. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि आदेश का अनुपालन कर विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के अवर सचिव

जापांक 207075

दिनांक:- 03/11/14

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव